निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 18 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के माह 11/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02/07/2017 से 14/07/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक (दिनांक 04-07-2017 से 14-07-2017 तक) पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दिनेश कुमार पर्यवेक्षक एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/11/2015 से 01/12/2015 तक श्री आर.एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2014 से 10/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत सड़को, पुलों एवं भवनों से संबंधित निर्माण कार्य किया जाता है।।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	36975950.00	367984740.00	239365306.00	239365261.00	-	45.00
2015-16	-	-	39676882.00	37696246.00	198572007.00	198572007.00	-	-
2016-17	-	-	45782915.00	41618503.00	153440261.00	153440261.00	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	एस.पी.ए.आर.	-	636.95	636.95		-
2015-16	एस.पी.ए.आर.	-	361.56	361.56		-
2016-17	एस.पी.ए.आर.	-	283.52	283.52		-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पुरोला को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पुरोला की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। राज्य योजना के अन्तर्गत पुरोला बाजार से कमल नदी के साथ गु डयाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक .... से .... में का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह ....तथा 09/2016 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 06/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः 11,53,608/-

   भाग द् वतीयः 4,20,868/-
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 06/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 93,50,947/-

   (ख)सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप 81,76,916/-

   (ङ) भण्डार (-) 55,31,947/-

भाग 2'ब'

प्रस्तर 1 : ` 35.80 लाख की सामग्री बिना एम०बी० व भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कए ही 3/2007 से 3/2010 तकभण्डार की अर्धवा षक लेखा बन्दी कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर संख्या 201-Aके अनुसार- The record of receipts and issues of stock should be kept in the register of stock receipts/issues which should be maintained in form no. 8 in the manner prescribed in the following paragraph. Pages of both the registers of stock receipts and stock issues should be machine numbered and entries made therein should be subjected or a check of at least ten per cent bythe sub-divisional officer and five per cent by the divisional officer. All registers of stock receipts issues belonging to a division should be numbered serially and a proper account of issue and receipt of every register should be maintained in the divisional officer.

वत्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर संख्या 212. (a)के अनुसार The total quantities of the receipts and issues of each article of stock, as recorded in the monthly abstracts, form no. 9 and 10, should, before the abstracts are transmitted to the divisional office (vide paragraph 724), be posted in the half-yearly balance return, Form no. 11, in the columns provided for the month concerned both under “Receipts” and “Issues”.

b) A separate return in this form should be prepared for each of the half-year ending September and march, that for the September half-year embracing only transactions up to the date on which the monthly accounts of the sub-divisional are closed. The return for each half-year should embrace all articles in stock. (c) Columns 22 and 23 of the form of the return are provided so as to give the sub-divisional and divisional officers an opportunity of commenting on the condition of the stores or on the rated and of noticing cases in which the balances are in excess of requirements.

अ धशासी अ भयन्ता निर्माण खण्ड पुरोला के भण्डार लेखा व अन्य अ भलेखों की जांच में पाया गया क:

- खण्ड द्वारा भण्डार पंजिका उपरोक्त व र्णत प्रपत्र मे नहीं बनाया जा रहा है और न ही अ धशासी अ भयन्ता द्वारा वत्तीय हस्त पुस्तिका के प्रस्तर संख्या 201-A के अंतर्गत उक्त की जाँच की गयी है।
- खण्ड के अर्धवा षक भण्डार लेखा बन्दी 3/ 2010के पश्चात नहीं की गई है। यह भी पाया गया क स्टॉक की बिना एम०बी० व भौतिक सत्यापन कए ही अर्धवा षक भण्डार लेखा बन्दी 03/2007 से 3/2010 तक की गई थी जो नियम वरुद्ध है।
- भण्डार लेखो मे आगे यह भी पाया गया क अर्धवा षक भण्डार लेखा बन्दी मार्च 2007 के पूर्व से ही सामग्री की भण्डार पुस्तकीय मूल्य व निर्गम मूल्य व प्रारम्भिक एवं अंतिम अवशेष मे भन्नता है। कुछ सामग्री को नए अर्ध वा षक भण्डार मे नहीं

लया गयाहै। जिससे यह सद्ध होता है क खण्ड के भण्डार लेखा के मलान व बन्दी सही ढंग से नहीं की गयी थी।

- अर्धवा षक भण्डार लेखा बन्दी 3/2010 मे `3.77 लाख की सामग्री का अन्तर का निस्तारण आति थ तक नहीं कया गया है।
- भण्डार मे पड़ी सामग्री का निर्गम मूल्य (मैक्सफाल्ट को छोड़कर) वर्ष वार खण्ड द्वारा निर्धारण नहीं कया जा रहा है। यह भी पाया गया क वगत 10 वर्षो से निर्गम मूल्य नहीं बदला गया है जिससे भण्डार में लाभ व हानि सही ढंग से ज्ञात नहीं होती है। इस के अतिरिक्त खण्ड द्वारा यह सामग्री पुराने निर्गम मूल्य पर ही कार्य /ठेकेदार को भारित की गयी थी जो उ चत नहीं है।

भण्डार पंजिका में आगे यह भी पाया गया क 55 मे से 41अलग अलग सामग्री जिसका कुल मूल्य लगभग ` 4.94 लाख का है का वगत 10 वर्षों से उपयोग नहीं कया गया है और न ही उक्त के निस्तारण हेतु उच्चा धकारियों को सू चत कर दिया गया है। जिससे अन्य खण्डों से मांग पत्र प्राप्त होते ही इसका निस्तारण हो जाता। इसके अलावा भण्डार से खण्ड द्वारा वगत तीन वर्षो मे ही 2855 मैक्सफाल्ट ड्रम कार्य हेतु ठेकेदारो को भारित कया था ले कन खण्ड द्वारा खाली मे मैक्सफाल्ट ड्रम ठेकेदारो से वापस नहीं लए गए जिससे खण्ड के भण्डार मे 3.00 लाख की हानि हुई। यह भी पाया गया क 3/2007 मे खण्ड के पास 539 खाली मैक्सफाल्ट ड्रम मुल्य `64,240 भण्डार मे उपलब्ध थे, को कहा उसका उपयोग अथवा auction कया गए के अ भलेख उपलब्द नहीं कराये गए। इस के अतिरिक्त अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा खण्ड के भण्डार रख रखाव हेतु उनके द्वारा निरीक्षण के दोरन अथवा अन्य कारणो से कोई टिप्पणी व दिशा निर्देश वत्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर संख्या 70 व 71 के अनुसार खण्ड को नहीं दी थी।

इस और इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया क पूर्व मे एम० बी० व प्रारं भक व अंतिम अवशेष मलान न होने के कारण इनको सुधार कर 3/2010 के उपरान्त लेखा सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और उपरोक्त अन्य बिन्दुओ पर उनके द्वारा अवगत कराया गया क कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखा परीक्षा आप त की पुष्टि होती है क वभाग द्वारा भण्डार के अ भलेखो को वत्तीय प्रावधानों के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है जो भण्डार के रखरखाव मे खंडीय श थलता को दर्शाता है।

अत: भण्डार मे पड़ी सामग्री का निर्गम मूल्य (मैक्सफाल्ट को छोड़कर) वर्ष वार खण्ड द्वारा निर्धारण न कया जाना, स्टॉक की बिना एम०बी०व भौतिक सत्यापन कए ही अर्धवा षक भण्डार लेखा बन्दी, अन्य सामग्री जिसका कुल मूल्य लगभग ` 4.94 लाख का है का वगत 10वर्षो से उपयोग न कया जाना व बिना भन्नताओं का मलान कये व लेखाओं का शुद् धकरण कए अर्धवा षक भण्डार लेखा बन्दी 3/2010 मे प्रद र्शत लाभ ` 3,77,010 को सही नहीं माना जा

सकता है तथा 03/2010 के पश्चात लेखा बन्दी न कया जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2 : वभागीय श थलता के कारण शासकीय संप त ` 6.92 लाख की हानि।

खण्ड की टीएंड पी पंजिका के अवलोकन मे पाया गया क टीएंड पी का सतंबर 2016 तक की वा षक लेखा बंदी की गई है। आगे अ भलेखो मे पाया गया क अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वर्ष 2016-17 मे पुरानी/निष्प्रयोजी मशीनों/वाहनो की सेन्सस रिपोर्ट के आधार पर सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत कराये जाने हेतु खण्ड को पत्रांक संख्या 1598/21 एम0टी0-11/2017 दिनांक 8-6-2017 द्वारा निर्देश दिये गए थे। उक्त के सन्दर्भ मे अ भलेखो मे पाया गया क खण्ड ने पूर्व मे कम्प्रेसर संख्या 601035 जो वर्ष 2006 मे खण्ड द्वारा खरीदी गयी थी और जिसका बाजारी मुल्य `6.92 लाख है को निष्प्रयोजी घो षत कर सर्वे रिपोर्ट कराये जाने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता को प्रे षत कया गया था ले कन अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा मशीनों के सम्मुख सही टिप्पणी न होने के कारण कार्यवाही सुनिश्चित कए जाने हेतु खण्ड को निर्दे शत कया था।पत्रावली व अन्य अ भलेखो मे लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया क

- कम्प्रेसर संख्या 601035 जो वर्ष 2006 मे खरीदी गयी थी के कोई भी कागज़ व लॉग बूक खण्ड के पास उपलब्ध नहीं है।
- इस कम्प्रेसर को खूनीगाड ससरा मोटर मार्ग के कार्य हेतु ठेकेदार को 2010 मे दिया गया था और 29 अप्रैल 2010 पर आग लगने से जल गया।

  तत्कालीन अ धशासी अ भयन्ता द्वारा 4 मेम्बर्स की जांच स मति का गठन जून, 2010 मे कया व जाँच स मति को यह निर्देश दिये क वे कम्प्रेसर मे आग लगने व जल जाने के कारणो को साक्ष्य सहित 15 दिन के भीतर रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करे।
- जाँच स मति द्वारा जून 2017 तक कोई रिपोर्ट इस सन्दर्भ मे कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है।
- जाँच स मति द्वारा निर्देश के अनुसार कार्य न कए जाने पर तत्कालीन अ धशासी अ भयन्ता व अन्य उच्च अ धकारियो द्वारा वगत 7 वर्षो से उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उपरोक्त से यह प्रद र्शत होता है क सरकारी संप त नष्ट होने के प्रकरण मे खण्ड द्वारा लापरवाही बरती है क्यो क कार्य के प्रयोग हेतु ठेकेदार द्वारा सरकारी संप त जिसका सही रखरखाव उसका दायित्व था नहीं कया गया। इसके अतिरिक्त जाँच स मति द्वारा नष्ट कम्प्रेसर की कोई रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत न करके ठेकेदार को दायित्व से मुक्त व फायदा पहुचाया जिस से शासकीय संप त की हानि हुई।

इस ओर इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया की जाँच स मति को रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत कए जाने हेतु लखा जा रहा है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि होती है क वभाग द्वारा इस प्रकरण मे श थलता बरती गयी है।

अत: वभागीय श थलता के कारण शासकीय संप त्त ` 6.92 लाख की हानि का प्रकरण शासन के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3: वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण एक अ धकारी पर ₹3.31 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पुरोला के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री दिनेश संह संघवाल, सहायक अ भयन्ता, एवं श्री धर्मेन्द्र संह, सहायक अ भयन्ता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर 2004 मे नियु क्त हुई थी तथा दोनों अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर मई 2011 को हुई।

उपरोक्त अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु मई 2011 में अपर सहा.अ भयंता के पद पर पदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो के सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था।

श्री दिनेश संह संघवाल,सहायक अ भयंता तथा श्री धर्मेन्द्र संह,सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमश: ₹18750/= व ₹17080/= दिया गया जब क वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया जाना चाहिये था| इस प्रकार जून 2011 को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर जून 2011 से जून 2017 तक श्री दिनेश संह संघवाल, सहायक अ भयंता को कुल ₹ 3.31 लाख (केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे अवगत कराया क वेतन निर्धारण नियमानुसार कया जा रहा है और गणना के उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी। खंडीय उत्तर मान्य नहीं है क्यो क उपरोक्त अ धकारियो की समान पद पर नियु क्तव पदोन्नति एक ही वर्ष में हुई थी जिस कारण से उनका वेतन एक समान होना चाहिए।
अतः दिनेश संह संघवाल,, सहायक अ भयंता पर 3.31 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 4: उपखनिजो पर ` **4.77**लाख की कम रायल्टी वसूल कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

उक्त के परिप्रेक्षय में खण्ड के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016 से मई 2016 तक नही की गयी थी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर रू 90 के स्थान पर `121.55 प्रति घन मीटर (`194.50/2X 25%=`121.55) 18मई 2016 तक (19मई 2016 से ` 96.25 प्रति घन मीटर (`154/2X 25%=`96.25)) प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था। अगर खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो रू 4.77 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व अ धक प्राप्त होती अर्थात (रू 18.11- रू 13.34 लाख) रू 4.77 लाख की राजस्व की कम वसूली खण्ड द्वारा की गयी है।

इस सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क शासनादेश समय से उपलब्ध न होने के कारण रॉयल्टी पुरानी दरो से ही काटी गयी| आगे समायोजित कर दिया जायेगा तथा अवशेष धनरा श उनके जमानत धनरा श एवं अगले देयको से समायोजित कर दिया जायेगा| खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि रायल्टी की कम कटौती की गयी।

अत: उप खनिजो पर ` 4.77 लाख कम रायल्टी वसूल कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 5: वत्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त कये अ भलेखों का रखरखाव सुनिश्चत नहीं कया जाना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के निम्न ल खत प्रस्तर संख्या में प्रावधानित था कः-

प्रस्तर संख्या-524 ठेकेदार से संबं धत लेखों को ठेकेदारों की बही, प्रारूप 43 में पृथक-पृथक पृष्ठों के संयोग (Set of folios) में लखा जायेगा जिसमें प्रत्येक ठेकेदार से संबं धत सभी संव्यवहारों के लए व्यक्तिगत खाता होगा।

प्रस्तर संख्या-524 कार्य सारांश को प्रथमतः उप-प्रखण्ड कार्यालय में तैयार कया जाना चाहिये। इसमें नकदपुस्तिका (Cash Book) संबं धत ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के वपत्रों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से लखना चाहिये तथा अन्तिम प्रभार की वापसी लेखन (Write Book) और नकद वापसी को ऋणात्मक प्र वष्टि के रूप में लखना चाहिये। महीने के अन्त में भण्डारण एवं समायोजन संव्यवहारों को सम्मि लत करना चाहिये तथा निर्धारण पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्त वक मात्रा का उल्लेख कया जाना चाहिये तथा निलम्बित शीर्षक (1) ठेकेदारों को अ ग्रम भुगतान (2) ठेकेदारों को प्रतिभूति अ ग्रम और (3) ठेकेदारों के अन्य संव्यवहार के अधीन सकल योग की शुद्धता को प्रमा णत करने के लए ठेकेदारों के लेखे के बन्दी जमा रा श (Closing Balance) का ववरण दिखाया जाना चाहिये। कार्य सारांश को प्रखण्ड लेखाकार की देखरेख में जांचा और बन्द कया जाएगा जो निम्न ल खत प्रारूप में एक प्रमाणपत्र अ भ ल खत करेगा-

इस कार्य सारांश को मेरे देखरेख में मेरे द्वारा जांचा गया है। मैने व्यक्तिगत रूप से सभी मदों का मलान 'ठेकेदारों का ववरण' ठेकेदारों के सन्दर्भ में बन्दी जमारा श के रजिस्टर से कया है उन्हें सही पाया है।

प्रस्तर संख्या-634 प्रखण्ड से संबं धत सभी निक्षेपण मा सक संव्यवहार के रूप में समे कत अ भलेख के रूप में तैयार कये जाएं तथा उन्हे निक्षे पत कार्य की अनुसूची के प्रारूप 65 में तैयार कया जाएं। प्रत्येक कार्य के संबंध में द र्शत इस अनुसूची में प्राप्त निक्षेपण की रा श तथा नियत खर्च दोनों माह के दौरान ति थवार रीति से दिया जाएं।

पूर्ण कार्य के बिना खर्च की गयी रा श की वापसी निक्षेपण की कटौती में ली जाएं, इस लए ऋणात्मक वसूली के रूप में अनुसूची में इसे द र्शत कया जाये न क खर्च के रूप में इसे द र्शत कया जाए।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व. पुरोला के अ भलेखों की नमूना जांच (07/2017) के दौरान पाया गया क वत्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के उक्त प्रा वधानों के बावजूद खण्ड के अन्तर्गत ठेकेदारों की बही (Contractors Ledger) कार्य सारांश (Works abstract) तथा निक्षे पत कार्यों की अनुसूची प्रारूप 65 (Form no. 65 "Schedule of deposit works") का

रखरखाव नहीं कया जा रहा था तथा कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को मा सक लेखा के साथ संलग्न कर प्रे षत नहीं कया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लि खत है क उक्त का रखरखाव नहीं कये जाने के सन्दर्भ में उच्चा धकारियों द्वारा ऐसा कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया था इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा उक्त अ भलेखों का रखरखाव नहीं कया जा रहा था। आगे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा सामान्य भ वष्य नि ध (जी.पी.एफ.) ब्राडशीट का रखरखाव भी सुनिश्चित नहीं कया जा रहा था।

उक्त को इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया क Contractor Ledger तथा जी.पी.एफ. ब्राडशीट बनाया जाएगा व फार्म-65 तैयार कर मा सक लेखा के साथ संलग्न कर कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रे षत की जायेगी जब क Work abstract के रखरखाव में कोई टिप्पणी अथवा आख्या नहीं दी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आप त्तयों की पुष्टि होती है क उक्त अ भलेखों का रखरखाव खण्ड के अन्तर्गत नहीं कया जा रहा था, जब क उच्चा धकारियों द्वारा उक्त अ भलेखों का रखरखाव नहीं कये जाने के सन्दर्भ में ऐसा कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये थे। इस के अतिरिक्त प्रत्येक निक्षे पत कार्य के संबंध में द र्शत अनुसूची के प्रारूप 65 में प्राप्त निक्षेपण की रा श तथा नियत खर्च दोनों माह के दौरान ति थवार रीति से नहीं दिया जा रहा था।

अतः वत्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त कये अ भलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नहीं कये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 6: साखाल मटियालोड गाँव (आबादी **300)** को यातायात की सु वधा से वं चत रखा जाना व कार्य पर प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति से `**20** लाख का अ धक व्यय भारित कया जाना।

एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत नाड़ा साखाल मटियालोड तथा कामरा को यातायात से जोड़ने हेतु बर्नीगाड़ से नाड़ा तक बने वन वभाग द्वारा मार्ग के की0 मी0 4 मोटर मार्ग तथा पुल के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश स.829/III(2)/06-62/05टीसी/ एस0 सी0 पी0 दिनांक 28-03-2006 द्वारा कुल लम्बाई 4 क.मी. मोटर मार्ग तथा 15 मी0 पुल के हेतु लागत `116.90 लाख की प्राप्त हुई थी। उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार इस मोटर मार्ग के निर्माण से प्रस्ता वत नाड़ा गाव आबादी 250 व साखाल मटियालोड गाँव आबादी 300 को यातायात की सु वधा उपलब्ध कए जाना था। तत्पश्चात उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति अधीक्षण अ भयंता के पत्रांक-4798/551 सी0-6/2013 दिनांक- 19.09.2013 को `116.90 लाख की प्रदान की गई।

कार्य की वस्तृत जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा पुल के निर्माण कार्य कमी. 15 को वस्तृत आगणन से हटाया जिस कारण साखाल मटियालोड गांव (आबादी 300) को यातायात की सु वधा से वं चत रखा गया। वस्तृत आगणन के प्रतिवेदन के अनुसार खण्ड द्वारा ऐसा दरों में वृद् ध के कारण कया गया था। यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा इस कार्य के लए शासन को पुनरी क्षतआगणन स्वीकृति के लए प्रस्तुत नहीं कया गया जिससे साखाल मटियालोड गाँव(आबादी 300) को यातायात की सु वधा प्रदान कया जाना सुनिश्चित होता।अ भलेखो की जाँच मे आगे यह भी पाया गया क:

1. कार्य पर आति थ तक अनुबन्ध/ भुगतान वाउचर के अनुसार एवं क्षतिपूर्ति भवन फसल आदि हेतु कुल ` 127.90 लाख का भुगतान जून 17 तक कया जा चुका है। जब क फार्म 2017 (जून 2017) के अनुसार कार्य पर 123.49 लाख ही दर्शाया जा रहा है जो शासन द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति 116.90 लाख से 11 लाख अ धक है। इस के अतिरिक्त कार्य पर अभी भी लगभग `9 लाख का भुगतान कया जाना अवशेष है।
2. खण्ड द्वारा स्वीकृत बिल ऑफ क्वान्टिटी के सम्पूर्ण मदों को अनुबन्ध गठित करते समय शैड्यूल बी मे नहीं रखा गया।जब क खंड द्वारा **बिल आफ क्वान्टिटी** के अन्य कार्य जेसा क रेटेनिंग वाल एवं ब्रेस्ट वाल कच्ची ना लयो का कार्य आतिरिक्त मद के द्वारा

ठेकादार से करावा कर ठेकादार को 2.46 लाख का नई दरो से भुगतान करके अनियमत लाभ पहुंचाया।

3. ठेकेदार द्वारा कार्य को समय पर पूर्ण न कये जाने के कारण खण्ड द्वारा GPW-9 के प्रावधानों के अंतर्गत ठेकेदार के देयकों से कटौती सुनिश्चित नही की गयी।
4. मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कसानो के क्षतिग्रस्त खेतो का एवं मलवा सफाई पेड़ो का प्रतिकर व भूम अधिग्रहण के भुगतान हेतु वर्ष 2013-16 आवंटित धनराश का व्यय अनुदान संख्या 30 लेखा शीर्षक 5054 सड़क एवं सेतु -04 जिला व अन्य सड़क-आयजोनागत 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचत जातियो के लए स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान 00 भूम अधिग्रहण 24 वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जाना था। लेकन खण्ड द्वारा अवशेष अवतरित धनराश ` 3.61 लाख निक्षेप मद भाग-III मे नियमो के वरुद रखी थी। जबक जिलाधकारी उत्तरकाशी द्वारा सर्कल रेट हर वर्ष पुनरीक्षत कए गए है। उक्त के अनुसार भूम प्रतिकर का भुगतान प्राप्त धनराश से कया जाना आतिथ मे सम्भव नहीं है।

इस और इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क वत्तीय वर्ष 2016-17 मे बजट प्राप्त न होने के कारण ठेकेदार के देयक अन्य मद मे भारित कया गया था और बजट प्राप्त होते ही अन्तरिम प्रवष्टि द्वारा व्यय कार्य पर भारित कर दिया जाएगा। इस के अतिरिक्त 15% व्यय अधक के लए प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति हेतु शासन को सक्षम अधकारी के आपतियों का निराकरण के उपरान्त स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषत की जा रही है। यह भी अवगत कराया गया क कुछ काश्तकारों के द्वारा मुआवजा न लेने के कारण अवशेष अवतरित धनराश ` 3.61लाख निक्षेप मद भाग-III मे रखा गया ताक यह लैप्स न हो तथा कार्य पर समय वृद्ध अधीक्षण अभयन्ता द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखा परीक्षा आपत्त की पुष्टि होती है साथ ही उनके द्वारा साखाल मटियालोड गाँव (आबादी 300) को यातायात की सुवधा उपलब्द कए जाने हेतु कोई प्रयास भी नहीं कया गया था।

अतः साखाल मटियालोड गाँव (आबादी 300) को यातायात की सुवधा से वंचत रखा जाना व कार्य पर प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति से `20 लाख का अधक व्यय भारित कये जाने का प्रकरण उच्च अधकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 7: प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृत लम्बाई को घटाकर के कार्य निष्पादन पर 321.23 लाख का व्यय करने के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में पुरोला बाजार से कमल नदी के साथ गुन्दियाटगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 3157/11(2)/06-71 प्रा.आ./06 दिनांक 18/12/2006 के द्वारा 11.00 कमी. लम्बाई एवं 1 सेतु हेतु लागत 353.00 लाख की प्राप्त हुयी थी।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व., पुरोला के कार्य संबंधी अ भलेखों की नमूना जांच (07/2017) में पाया गया क खण्ड द्वारा वस्तृत आगणन में स्वीकृत मार्ग लम्बाई को 11.00 कमी. से घटाकर मात्र 4.55 कमी. करते हुए मुख्य अ भयन्ता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, देहरादून को प्रा व धक स्वीकृति प्रदान कये जाने हेतु प्रे षत कया ऐसा खण्ड द्वारा दरों में वृद् ध के कारण कया गया था। तत्पश्चात उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भन्ता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा पत्रांकः 362/06(12) याता.-दे.दून/2013 दिनांक 28/02/2014 के माध्यम से लम्बाई 4.55 कमी. एवं 2 नं. आर.सी.सी. सेतु (12-12 मी. स्पान) निर्माण कार्यों हेतु लागत 353.00 लाख की प्रदान की गयी थी।

अ भलेखों की जांच में आगे पाया गया क खण्ड दवारा मार्ग निर्माण कार्य के अवशेष लम्बाई 6.45 कमी. हेतु शासन को पुनरी क्षत आगणन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत अथवा प्रयास नहीं कया गया था कार्य के निष्पादन में आगे पाया गया कः

1. कार्य पर मा सक प्रगति आख्या तथा फार्म-64 के अनुसार माह 06/2017 तक कुल 321.23 लाख का व्यय भारित कया गया था जब क भुगतान बाऊचर के अनुसार कार्य पर ठेकेदारों को कुल भुगतान 186.01 लाख वन भू म अध्याप्ति/प्रतिकर के लए कुल 116.16 लाख का व्यय कया गया था इस प्रकार निष्पादित कार्य पर आ धक्य व्यय 19.06 लाख भारित कया गया था।

2. वस्तृत आगणन में 12-12 मी. स्पान के 2 नं. आर.सी.सी. सेतु (लागत 45.52 लाख) तथा 6-6 मी. स्पान के 2 नं. आर.सी.सी. सेतु/पु लया (लागत 26.24 लाख) का प्रा वधान कया गया था ले कन खण्ड द्वारा मात्र एक सेतु जिसकी लागत 21.36 लाख का ही निष्पादन कराया जब क प्रा व धक स्वीकृति के अनुसार 2 नं. आर.सी.सी. सेतु (12-12 मी. स्पान) के निर्माण कये जाने थे इस प्रकार उक्त सेतु जिनकी कुल लागत 50.30 लाख थी के निर्माण कार्य निष्पादित नहीं कराया गये।

3. आगणन में सा लंग कोट (45-90) संबंधी कार्य के लये 27.63 लाख का प्रा वधान कया गया था, परन्तु निष्पादित कार्य अ भलेखों के अवलोकन में पाया गया क उक्त कार्य मद का निष्पादन नहीं कराया गया।

4. कार्य समय पर पूर्ण नहीं कये जाने के कारण अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा ठेकेदार के अनुबंध संख्या ईई/25 व ईई/31 में क्रमशः 9856 व 24264 का अर्थदण्ड लगाया गया था,

जिसका खण्ड द्वारा ठेकेदार के देयकों से कटौती सुनिश्चित नहीं की गयी थी, इसके अतिरिक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही वत्तीय नियमों का पालन न करते हुए खण्ड द्वारा नि वदा दिनांक 25/01/2014 को आमंत्रित की गयी व उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली-2008 एवं वत्तीय नियमानुसार कार्य को टुकड़ों में बांटने हेतु सक्षम अ धकारी से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं कया गया था।

उपरोक्त के संदर्भ में इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क प्रतिकर एवं सुरक्षात्मक कार्यों की लागत में अ धक वृद् ध के कारण सो लंग का कार्य निष्पादित नहीं कया गया जिसकों अलग से आगणन गठित कर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य करा लया जायेगा, जब क अवशेष आर.सी.सी. सेतु निर्माण के संबंध में खण्ड द्वारा कोई तर्कसंगत आख्या नहीं दी गयी तथा कार्य में वलम्ब के संबंध में सक्षम अ धकारी द्वारा अर्थदण्ड सहित समयवृद् ध प्रदान की गयी थी।

खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्यों क सक्षम अ धकारी द्वारा अर्थदण्ड आरो पत कये जाने के बावजूद भी कटौती संबं धत देयकों से नहीं की गयी थी तथा आगणन की स्वीकृति नये समरेखण 4.55 कमी. लम्बाई के लये ही मुख्य अ भयन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी जिसके अनुसार 2 सेतुओं का निर्माण कया जाना था एवं प्रा वधानित अन्य कार्यों के साथ-साथ सो लंग कोट का कार्य मार्ग पर नहीं कया गया।

अतः कार्य पर 321.23 लाख का व्यय करने के उपरान्त भी आवश्यक कार्य (आर.सी.सी. सेतु/पु लया व सो लंग कोट) निष्पादित नहीं कया जाना व ठेकेदारों से सक्षम अ धकारी द्वारा आरो पत अर्थदण्ड की वसूली नहीं कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1**: निक्षेप कार्यो पर प्राप्त धन रा श से अ धक व्यय ` 32.43 लाख कया जाना एवं दैवीय आपदा हेतु **09/2012** मे प्राप्त धनरा श `**38.10** लाख को मा सक लेखे **09/2012** से आति थ मे संशोधन कर सम्मि लत कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों के अनुसार निक्षेप कार्यो पर व्यय प्राप्त धनरा श तक सी मत रखा जाए।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पुरोला उत्तरकाशी के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा निम्न 06 कार्यो पर प्राप्त धनरा शयो से अ धक व्यय कया गया।

क्रम	वर्ष	ववरण	आ धक्यव्यय
1	03/2012	देवीय आपदा 2012-13	(-) 43,59,238
2	05/2005	पुरोला कमोला नोरी गादोली मार्ग	(-)13,60,644
3	07/2005	गड्गाद बधासु मलन केंद्र का निर्माण	((-)15696
4	10/2008	स वल जज पुरोला के कार्यालय में कंप्यूटर कक्ष का निर्माण	(-)107805
5	05/2014	पीआएयू	(-)88287
6	04/2015	दैवीय आपदा 2014-15	(-)1121898
		Total	(-)70,53,568

जिला धकारी उत्तर काशी द्वारा आर्डर संख्या 9903/तेरह-29(2011-12) दिनाक 04-09-2012 द्वारा क्रम संख्या 1 कार्य-दवीय आपदा हेतु ₹ 38.10 लाख की धनरा श स्वीकृत की गयी इस सम्बंध में खण्ड द्वारा उक्त धनरा श चालान संख्या 01 दिनाक 29 सतम्बर 2012 के द्वारा ट्रेज़री में जमा कया गया ले कन इस रा श को दैवीय आपदा में क्रे डट नहीं कया गया जिसके कारण से खण्ड के मा सक लेखे 09/2012 आति थ तक गलत चलते आ रहे हे व प्राप्त धनरा शयो से अ धक व्यय ₹ 5.59 लाख (रु 43.59 लाख (-) रु 38.10 लाख) उक्त कार्य पर है। जब क अन्य 5 कार्यो पर `26.84 लाख वत्तीय हस्तपुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों के अनुसार निक्षेप कार्यो पर प्राप्त धनरा श से आ धक्य व्यय कया गया है। खण्ड द्वारा संबन्धित वभागो से धनरा श प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

इस सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क संबन्धित वभागो से धनरा श प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है व खण्ड के मा सक लेखे 09/2012 से आति थ तक ठीक कए जाएगे। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि होती है।

अत: निक्षेप कार्यो पर प्राप्त धनरा श से अ धक व्यय ` 32.43 लाख कया जाना एवं दैवीय आपदा हेतु 09/2012 मे प्राप्त धनरा श `38.10 लाख को मा सक लेखे 09/2012 से आति थ मे संशोधन कर सम्मि लत कया जाने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर2: वत्तीय नियमो एवं बजट मैनुअल के वरुध बजट के रूप मे अवमुक्त धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे रखा जाना व भू म वभाग के नाम पंजीकृत कए बिना ही `**19.39** लाख का भुगतान कए जाना।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पुरोला उत्तरकाशी को स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अंतर्गत कसानो के क्षतिग्रस्त खेतो का एवं मलवा सफाई पेड़ो का प्रतिकर के भुगतान हेतु खण्ड को सीसीएल (बजट) के रूप मे धनरा श अवमुक्त की गयी थी। अ भलखो की जांच मे पाया गया क:

1. खण्ड द्वारा शासनादेश एवं वत्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो के वरुद्ध अवमुक्त धनरा श को निक्षेपमद मे रखा।
2. खण्ड द्वारा भू म वभाग के नाम पंजीकृत कए बिना ही `11.78 लाख का भुगतान निम्न कार्य पर कया जो क वत्तीय नियमो एवं बजट मैनुअल के वरुद्ध है।
    - एससीएसपी के अंतर्गत नाडा संखाल मतेया लोड तथा व्प्यारा मोटर मार्ग क0 मी0 03 से 04
    - पन्द्राणु से धुनियारा पावर नदी पर 60 मीटर स्पान झुला पुल का निर्माण
    - आगे यह भी पाया गया क पन्द्राणु से धुनियारा पावर नदी पर 60 मीटर स्पान झुला पुल के निर्माण मे ` 7.61 लाख का भुगतान तहसीलदार जुबबल जिला शमला हिमाचल प्रदेश को भू म अ धग्रहित कए जाने हेतु कया गया था जिसका आति थ तक खण्ड को भू म अ धग्रहित संबन्धित प्रपत्र प्राप्त नहीं हुये हे जिससे उक्त धनरा श का समायोजन नहीं कया गया था।
3. वर्ष 2016-17 में सात कार्यो हेतु प्रतिकर वतरण हेतु शासन द्वारा `14.05 लाख अवमुक्त कए गए थे जिसके सापेक्ष खण्ड द्वारा `11.25 लाख का व्यय कया गया और अवशेष धनरा श ` 2.80 लाख को निक्षेप मद मे वत्तीय नियमो एवं बजट मैनुअल के वरुध रखी।

इस सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क कुछ काश्तकारों के द्वारा मुआवजा न लेने के कारण धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे रखा गया ता क यह लैप्स न हो तथा पन्द्राणु से धुनियारा पावर नदी पर 60 मीटर स्पान झुला पुल के निर्माण मे भू म अ धग्रहित कए जाने हेतु तहसीलदार जुबबल जिला शमला हिमाचल प्रदेश को भुगतान कया गया। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखा परीक्षा आप त की पुष्टि होती है।

अत: वत्तीय नियमो एवं बजट मैनुअल के वरुध बजट के रूप मे अवमुक्त धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे रखा जाना व भू म वभाग के नाम पंजीकृत कए बिना ही `19.39 लाख का भुगतान कए जाने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
40/91-92	4	-
46/92-93	1	-
69/95-96	1,3	-
13/96-97	1,2	-
37/97-98	1	-
40/99-2000	1,2	-
31/2000-01	1	-
19/2001-02	1,2	-
28/2002-03	1,2,3	-
05/2003-04	1,2,3	-
119/2004-05	-	2,3
03/2009-10	1,2,3,4	-
46/2014-15	-	1,2,3,5 (STAN-1)
88/2015-16		1,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता के माध्यम से प्रस्तरों के समायोजन/निस्तारण हेतु प्रयास कये जा रहे थे। निस्तारित प्रस्तरों की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पुरोला तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) माप-पुस्तिका 127⁄L, 145⁄

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री ए.एस. पंवार,	अ धशासी अ भयन्ता 11⁄15 से 04⁄06⁄16 तक
(ii)	श्री यू.एस.पंवार	अ धशासी अ भयन्ता 04⁄06⁄16 से 22⁄12⁄16 तक
(iii)	श्री धीरेन्द्र संह	अ धशासी अ भयन्ता 22⁄12⁄16 से अब तक।

(iv) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री अशोक कुमार पगल, 11⁄2015 से 09⁄06⁄2017

(ii) श्री धीरेन्द्र कुमार 09⁄06⁄17 से अब तक।

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पुरोला को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-**II**